न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–234/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00211)

1 राधेश्याम पुत्र जगदीश चन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. महादेव प्रसाद पुत्र स्व. श्री भूरा, जाति माली, निवासी मन्दोल तन ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट

2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–– तरतीबी रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 11.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 30.05.2016 (प्रकरण संख्या 78/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा मकबूजा ठिकाना तथा खसरा नम्बर 604 रकबा 89 बीघा 8 बिस्वा काबिल चराई मकबूजा ठिकाना के नाम से सम्वत् 2005 से 2014 की मिसल बन्दोबस्त में दर्ज थी तथा सम्वत् 2019 के सेटलमेन्ट मे उक्त आराजी खसरा नम्बर 600 में से 10 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 604 में से 10 बिस्वा को मिलाकर नया नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कायम कर उसका पर्चा नोटिस भूरा पुत्र चन्दा माली के नाम जारी किया गया जिस पर जगदीश चन्द्र शर्मा व्यवस्थापक धर्मशाला प्याऊ मंदोल सा0 सामोद (पिता/अपीलान्ट) ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष उज्रदारी प्रस्तुत की, भूरा माली का स्वर्गवास होने से भूरा माली की पत्नी बाली के सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने बयान लिये, भूरा की पत्नी बाली की अभिस्वीकृति के आधार पर उक्त आराजी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 21.02.1963 मिसल संख्या 227/1963 के द्वारा जगदीश चन्द पुत्र नारायणदास ब्राहाम्ण व्यवस्थापक धर्मशाला प्याऊ मंदोल के नाम से रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज की गई। उन्होने कथन किया है कि इसके पश्चात सम्वत् 2046 के भू–प्रबन्ध में उक्त आराजी खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1609, लगायत 1611, 1619, 1620, 1615/2304 कुल किता 6 कुल रकबा 2.81 हैक्टयर कायम कर खातेदारी जगदीश चन्द्र पुत्र नारायणदास ब्राहाम्ण व्यवस्थापक धर्मशाला प्याऊ मंदोल के खातेदार के नाम से दर्ज की गई, जो वर्तमान में इसी प्रकार दर्ज है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कृष्ण कुमार ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 6/2001 उनवानी कृष्ण कुमार बनाम राधेश्याम प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट महादेव ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का आवेदन दिनांक 21.02.2004 को प्रस्तुत किया तथा महादेव स्वयं ने भी उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 27.03.2006 को उपखण्ड अधिकारी चौंमू के समक्ष प्रस्तुत किया जो दोनों वाद उक्त न्यायालय में विचाराधीन है तथा वादों में सहाय भू–प्रबन्ध अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 21.02.1963 को भी चैलेन्ज किया गया है। उन्होने कथन किया है, उक्त वाद में तहसीदार चौंमू ने सार्वजनिक हित निहित होना मानकर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष उक्त वादों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसीवरी के 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुऐ जिस पर उपखण्ड अधिकारी चौमू ने तहसीलदार चौमू द्वारा प्रस्तुत किया गये रिसीवरी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर भूमि इन मीडियों होने तथा सार्वजनिक हित को देखते हुये दिनांक 05.02.2007 को थानाधिकारी चौमू को विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जिसकी पालना मे आराजी वादग्रस्त राज कब्जे में ले ली गई है, उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 05.02.2007 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महादेव प्रसाद ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जो अपील बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04.08.2007 के द्वारा खारिज कर दी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट महादेव ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 21.02.1963 की न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त राज. जयुपर के समक्ष दिनांक 31.01.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर ने अनुचित एवं अवैध रूप से स्वीकार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 21.02.1963 को निरस्त कर रिकार्ड में इन्दाज दुरूस्ती का निर्णय दिनांक 08.05.2007 को पारित किया। उन्होने कथन किया है कि भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2007 के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमर के समक्ष अपील संख्या 5942/2007 राधेश्याम बनाम महादेव प्रसाद एवं दुसरी अपील सरकार ने रजास्थान सरकार बनाम महादेव प्रसाद अपील सख्या 6038/2007 प्रस्तुत की जिन दोनों अपीलों की माननीय राजस्व मण्डल अजमे ने एकसाथ सुनवाई कर निर्णय दिनांक 03.09.2015 के द्वारा दोनों अपीलों को स्वीकार कर भू–प्रबन्ध आयुक्त राज. जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2007 को क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया हुआ मानकर निरस्त कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भू–प्रबन्ध आयुक्त राज. जयपुर के निर्णय को निरस्त करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट महादेव प्रसाद ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के उक्त निर्णय दिनांक 21.02.1963 के विरूद्ध असाधारण विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तृतीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद के वास्तविक मुददे को सही अर्थों में समझे बिना कई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कॉट्रेरी टू लॉ निर्णय अपील अधीन पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सम्वत् 2019 के सेटलमेन्ट के दौरान पारित सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चैलेन्ज किया गया है जबकि सम्वत् 2019 के पश्चात् पुनः सम्वत् 2046 में सेटलमेन्ट हो चुका है दोनों सेटलमेन्ट राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन से बन्द हो चुके है, इसके पश्चात् सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर के आदेश को अपील के माध्यम से चैनोती देने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अधिकार नही है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के उक्त आदेश को अपील से पूर्व ही रेगुलर वाद प्रस्तुत कर चैलेन्ज कर दिया है जिसको नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने रेगूलर वाद में तय होने वाले अधिकारों को समरी प्रोसिडिग्स में तय कर दिये है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नही है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 विधि विरूद्ध, अनुचित व अवैध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक भूरा की बेवा अन्धी नही थी न इसका कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है, मृतक भूरा के नाम खातेदारी भी दर्ज नही थी इसलिये उसकी विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का औचित्य नही था, अपीलान्ट के पिता ने कानूनन प्रार्थना पत्र सही प्रस्तुत किया था जिस पर पत्रावली दर्ज की गई थी तथा भूरा की पत्नी के मजमें आम में बयानादि लिये थे तथा पूरी छानबीन कर भूरा की पत्नी की अभिस्वीकृति से जगदीश प्रसाद व्यवस्थापक धर्मशाला प्याऊ मंदोल के नाम रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज की गई जो किसी भी प्रकार से गलत नही है, न ही शून्य, न आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है लेकिन अधीनस न्यायालय ने अपना मनमाना निष्कर्ष निकाल कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के आदेश को शून्य व क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निर्णय प्रथम दृष्टया ही अनुचित व अवैध व शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता स्व. जगदीश चन्द तत्कालीन समय में गांव के सरपंच थे तथा वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के समक्ष दिनांक 06.02.1963 को आवेदन पेश किया जिस पर तीन आदेशिकाऐं लिखी गई है, पहली तारीख पेशी दिनांक 20.02.1963 को ली गई जबकि दूसरी पेशी दिनांक 21.02.1963 को होनी थी परन्तु पेशी में दिनांक 13.02.1963 डाली गई थी अर्थात प्रकरण का देखने से स्पष्ट है कि पेशी दिनांक 20.012.1963 बाद में आती है जबकि कि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

शी दिनांक 13.02.1963 पहले आती है इस प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर के स्तर पर मनमाने व अवैध तरीके से व गैर कानूनी रूप से आवेदनकर्ता सरपंच जगदीशचन्द्र के प्रभाव के कारण कार्यवाही की गई। उन्होने कथन किया है उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्पष्ट करती है कि स्व0 भूरा जिसके नाम जमीन थी और जगदीश चन्द्र सरपंच द्वारा जो आवेदन भूरा के नाम की जमीन को प्याऊ के नाम बदलने के लिऐ दिया था उसकी पुस्त पर भूरा के नाम जमीन होने बाबत रिपोर्ट तत्कालीन पटवारी द्वारा भिजवाई गई, दर्ज है तथा नोटिस उक्त कार्यवाही का भूरा के नाम जारी हुआ जो अदम तामील बन्द लिफाफा वापस लौट आया, इसके बाद जैसा कि पत्रावली आदेशिका में दर्ज है कि भूरा फौत हो चुका है और उसकी पत्नी बाली जो कि अंधी थी उसके बयान व एक भूरा नाम के व्यक्ति के बयान करवाना आदेशिका में दर्ज किया गया है और दिनांक 21.02.1963 की आदेशिका में खातेदारी परिवर्तन का आदेश दे दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा मृतक भूरा की कायम मुकाम की कार्यवही की जानी चाहिये थी परन्तु बजाये कार्यवाही कायम मुकाम किसी अन्य को बुलाकर स्व. भूरा की पत्नी बताकर उसके बयान लेकर, अंगूठा निशानी लगवाई और निर्णय प्रकरण का कर दिया। उन्होने कथन किया है कि एक बार खातेदारी इन्द्राज किसी व्यक्ति के नाम आ जाने के बाद उसका नाम धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अतिरिक्त राजस्व इन्द्राजों से नही हटाया जा सकता है जबकि प्रस्तुत आवेदन दौराने बन्दोबस्त कार्यवाही पेश हुआ है और कोई रेगूलर ट्रायल नही हई है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित खसरा नम्बर 816 कभी प्याऊ का नही रहा बल्कि प्याऊ खसरा नम्बर 818 था और जिसका रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा था और जिसके हाल खसरा नम्बर 1626 रकबा 1.64 हैक्टयर जगदीश चन्द्र के नाम से दर्ज है तथा प्याऊ के लिऐ 1.64 हैक्टयर भूमि भी बहुत ज्यादा है, जिसे प्याऊ के लिऐ पूर्व से ही 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजूद है पुनः उसके लिऐ प्रार्थी के पिता स्व. भूरा की भूमि जो कि रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा थी को लिये जाने का आवेदन दिया गया इस प्रकार ना तो स्व. जगदीश चन्द्र का आवेदन कानूनन सहायक भू प्रबन्ध आमेर के समक्ष चलने वाला था, ना ही उसके ऊपर कोई कार्यवाही चलने योग्य थी फिर भी अपीलान्ट के पिता तत्कालीन समय के सरपंच होने के कारण से सब कानूनों को ताक में रखकर, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया विधि अपनाये एवं तत्कालीन समय लागू कानूनों के खिलाफ जाकर आदेश दिनांक 21.02.1963 सहायक भू प्रबन्ध आमेर द्वारा पारित करवाया गया है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से समस्त कानूनी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सही तौर पर खारिज किया गया इसलिये न्यायालय श्रीमान् से निवेदन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2016 उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हए बहाल रखा जावे।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहर होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय पर्चा लगान भूरा पुत्र चन्दा माली के नाम बना है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट के द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भी होती है एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को केवल पूर्व इन्द्राज को हो दौहराने के अधिकार प्रदत्त है उसे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के इन्द्राज को बदलने के अधिकार प्रदत्त नही है जबकि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा भूरा के नाम की आराजी को अपीलान्ट के पिता के नाम किये जाने के आदेश क्षेत्राधिकार से बहार जाकर दिये गये है जिसे उचित ठहराने के ठोस तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.16 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.16 को यथावत रखा जाता है। चूँकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य नियमित वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन है तथा वादग्रस्त आराजी के बेचान रहन, हस्तान्तरण इत्यादि की संभावनाऐं भी प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू में विचाराधीन वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के बेचान, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि पर पाबन्दी भी लगाई जाती है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

-: संशोधन आदेश :- दिनांक 24/7/18

आदेश दिनांक 24/7/18 के अनुसरण में आदेश दिनांक 11/7/18 के पृष्ठ संख्या 4 की पन्द्रहवीं पंक्ति में "अधिवक्ता अपीलार्थ" के स्थान पर "अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट" संशोधित किया जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर